सं./No. 1/12/2014-वीएस (सीआरएस) **हिन्दी रूपान्तर**

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड-1, राम कृष्ण पुरम्, नई दिल्ली - 110066
V.S. Division, West Block - 1, R.K. Puram, New Delhi – 110066

दूरभाष/ फैक्स Tel /Fax –26104012 E-mail – drg-crs.rgi@censusindia.gov.in

दिनांक : 07.11.2014

परिपत्र

विषय :- जन्म/मृत्यु और मृतजन्म रिपोर्टिंग फॉर्म में यूआईडी नंबर के कॉलम को शामिल करना और सीआरएस सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन।

जैसा कि आप जानते हैं, जन्म और मृत्यु पंजीकरण, प्रमाण पत्रों के बनाने, विभिन्न सांख्यिकीय रिपोर्टों और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए सिविल पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है । प्रत्येक रजिस्ट्रेशन की यूनिक बनाने के लिए ऑफिस सर्कुलर नंबर 9-1/2009-वीएस (सीआरएस) दिनांक 05.09.2012 के अनुसार सभी रजिस्ट्रेशन यूनिट्स को यूनिक आईडी के साथ कोड किया गया है। घटनाओं का एक निर्धारित प्रारूप में यूनीक पंजीकरण संख्या के साथ पंजीकरण करना होगा, उदाहरण के लिए, जन्म के लिए "बी-YYYY-राज्य कोड-पंजीकरण इकाई कोड पंजीकरण संख्या"। इस कार्यालय के डी.ओ. नंबर 2/17/2013-वीएस (सीआरएस) दिनांक 19.9.2014 (संलग्न प्रति) के माध्यम से राज्यों को निर्देश दिया गया था कि पूरे राज्य में सीआरएस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें ।

2. सीआरएस और एनपीआर/आधार के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए, विशिष्ट पहचान (यूआईडी) नंबर व्यक्ति की प्रामाणिक जानकारी होने के नाते जन्म और मृत्यु रिपोर्टिंग प्रपत्रों में भी एकत्र किए जाने की आवश्यकता है। जन्म और मृतजन्म के मामले में माता-पिता के यूआईडी संख्या तथा मृतक के माता-पिता और पति-पत्नी (यदि मृतक विवाहित है) को जन्म और मृत्यु रिपोर्टिंग फॉर्म में भरने की आवश्यकता है। यूआईडी नंबर को एकत्र सीआरएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से एनपीआर डेटाबेस के लिए एक परिवार में होने वाली जन्म और मृत्यु की घटनाओं को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने और यूआईडी/एनपीआर डाटाबेस के साथ जोड़ने के लिए कानूनी आवश्यकता के रूप में जन्म/मृत्यु और मृतजन्म रिपोर्टिंग फॉर्म में यूआईडी नंबर को शामिल करने के लिए आवश्यक निर्देश इस पत्र के माध्यम से राज्यों को जारी किया गया है।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप जन्म, मृत्यु और मृतजन्म रिपोर्टिंग प्रपत्रों को संशोधित करें और इन प्रपत्रों में पिता और माता (माता-पिता) के यूआईडी नंबर का कॉलम शामिल करें। इसके अतिरिक्त मृतक और पति या पत्नी (यदि मृतक विवाहित है) के यूआईडी नंबर भी मृत्यु रिपोर्टिंग फॉर्म में भी एकत्र किया जाना चाहिए। संशोधित रिपोर्टिंग प्रपत्रों का नमूना भी सुलभ संदर्भ के लिए संलग्न है।

4. आपसे अनुरोध है कि आप संबंधित नियम में संशोधन करने और उपरोक्त कॉलम को फॉर्म संख्या 1, 2 और 3 में शामिल करने के लिए कार्यवाही शुरू करें । इस संबंध में, आरबीडी अधिनियम, 1969 की धारा 30 (1) के तहत संबंधित प्रपत्रों में आवश्यक संशोधन करने की अनुमति दी जाती है। इस संबंध में आवश्यक कदम प्राथमिकता के आधार पर उठाए जाएं।

5. इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया है कि राज्य/यूटी में सीआरएस सॉफ्टवेयर को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, प्रपत्रों में संशोधन होने तक मौजूदा रिपोर्टिंग फॉर्म में ही माता-पिता और अन्य लोगों की यूआईडी संख्या एकत्र करने की सलाह दी जाती है । इस कार्यालय को इस मामले में की गई कार्यवाही के बारे में अवगत कराया जाए।

भवदीय

संलग्नक : संशोधित रिपोर्टिंग फॉर्म

(सी. चन्द्रमौलि)
भारत के महारजिस्ट्रार

सेवा में,

मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु

(ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन & दीव, दादरा & नागर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान & निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी)

सं. 1/12/2014-वीएस (सीआरएस) नई दिल्ली दिनांक 07-11-2014

मामले को चीफ रजिस्ट्रार के संज्ञान में ले जाने के अनुरोध के साथ संबंधित डीसीओ को भेज दी गई कॉपी।